राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 12 अप्रैल 2025
वर्ष 14, अंक 03, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

तेज आंधी-बारिश से किसानों की बढ़ी मुश्किलें, खड़ी गेहूं की फसल हुई बर्बाद ...03

दक्षिण जिला स्पेशल स्टाफ ने किया कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार.....04

रेप में लड़की की गलती : इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और शर्मनाक फैसला

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से एक विवादास्पद फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने रेप के एक आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि पीड़िता ने खुद मुसीबत को न्योता दिया। कोर्ट ने पीड़िता के बार में शराब पीने, देर रात आरोपी के साथ जाने और घटना की परिस्थितियों को उसके व्यक्तिगत निर्णय का हिस्सा माना, लेकिन यह न्याय से ज़्यादा नैतिकता का मूल्यांकन साबित हो रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में यौन संबंध के संकेत मिले, लेकिन कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से रेप मानने से इनकार कर दिया जबकि आईपीसी का सेक्शन 375 साफ तौर पर किसी भी महिला के साथ नशे में बनाये गये यौन संबंध को रेप मानता है। इस फैसले ने सहमति,महिला की स्वतंत्रता और विक्टिम ब्लेमिंग जैसे मुद्दों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। क्या अब न्याय प्रणाली महिलाओं के फैसलों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है? 'लड़की के साथ रेप हुआ क्योंकि गलती उसकी थी। उसने अपने सिर पर मुसीबत खुद बुलाया था। इसकी ज़िम्मेदार वो ही है।' ये किसी मुहल्ले की चौपाल पर पंचायत करने बैठे दो-चार लोगों की गप्पबाज़ी नहीं है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ताजा फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस 'संजय कुमार सिंह' ने 10 अप्रैल को रेप के आरोपी एक युवक को जमानत देते हुए, अपने फैसले के बचाव में ये अजीबोगरीब बात कही। मामला दिसंबर 2024 में हुई रेप की एक घटना से जुड़ा हुआ है। शिकार लड़की का आरोप है कि लड़के ने उससे नशे की हालत में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर दो बार रेप किया। पीड़ित लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में

बताया था कि वह अपनी तीन महिला दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। वहीं ये आरोपी लड़का भी उससे मिला था। बार में तीनों लड़कियों ने देर रात तक शराब पिया था। नशा अधिक हो जाने की वजह से लड़की खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर लड़के ने बार-बार उसे अपने घर चलने के लिए कहा। उस हाल में लड़की ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसे भी मदद की जरूरत थी और वो घर जाकर आराम करना चाहती थी। जैसा कि आरोपी लड़के ने बताया था, लड़की को लगा कि वो उसे अपने नोएडा स्थित घर लेकर जाएगा, लेकिन लड़का उसे ठीक दूसरी दिशा में अपने किसी रिश्तेदार के घर गुड़गांव लेकर चला गया, जहां उसने लड़की के साथ रेप किया। लड़की ने ये भी आरोप लगाया है कि पूरे रास्ते आरोपी लड़की को गलत ढंग से छूता रहा। जब ये मामला कोर्ट में पहुँचा तो आरोपी के वकील ने यह तर्क दिया कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी माना जाए तो मामला रेप का नहीं है। उसकी जगह यह सहमति से बना हुआ संबंध हो सकता है। आरोपी के वकील ने यह भी दलील दी कि आरोपी दिसंबर 2024 से जेल में बंद है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। हालांकि सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया था पर वे कई मुद्दों पर उस काबिलियत से विरोध दर्ज नहीं करवा पाए। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनकर जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने जमानत देते हुए जो कहा, उसे सुनिए! कोर्ट का कहना था कि ÷अगर पीड़िता की बात को सच भी माना जाए,तो यह स्पष्ट होता है कि उसने खुद ही इस स्थिति को आमंत्रित किया और इसके लिए वह जिम्मेदार भी है। मेडिकल जाँच में पीड़िता का हाइमेन (योनि के द्वार पतली झिल्ली) फटा हुआ पाया गया, लेकिन डॉक्टर ने यौन शोषण के संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए यानि पीड़ित को दोषी ठहराते हुए न केवल ये कहा कि उसने मुसीबत खुद बुलाया बल्कि इस बात पर भी ज़ोर दिया कि लड़की ने खुद अपने एफ आई आर में स्वीकार किया है कि वो जानती थी कि वो क्या कर रही है। इसे करना कितना नैतिक या अनैतिक हो सकता है। पूरे सबूतों, तथ्यों, आरोपी की भूमिका और दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने लड़की को अपने साथ हुए रेप का दोषी ठहराते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला आरोपी के पक्ष में सुना दिया। उसकी जमानत याचिका मंजूर हो गई। इस फैसले के आने के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इंडियन पीनल कोड (आईपीएस) के सेक्शन 375 के मुताबिक जब औरत नशे में हो, ठीक तरह से सहमति देने की हालत में न हो तो उसके साथ किया गया सेक्स रेप है। अब सवाल उठता है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आला कानूनगो इस मामूली जानकारी से भी वंचित थे? या फिर कानून का धड़ल्ले से मज़ाक उड़ाया गया है। यह पहली बार नहीं है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ऐसा कोई फ़ैसला आया है। इससे पहले भी नाबालिग से बलात्कार की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मोहन मिश्रा ने विवादास्पद फैसला सुनाया था। उस मामले में कहा गया था कि नाड़ा तोड़ना, स्तन दबाना रेप नहीं। और अब नशे में किए गये रेप का दोष पीड़ित लड़की के ही सिर मढ़ दिया गया है? आखिर क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट इतने अजीबोगरीब फैसले सुना रहा है? क्यों इस हाईकोर्ट की न्यायिक चेतना सकते में आ गई है?

महिलाएं बन सकती हैं नज़ीर, उद्धमिता के हुनर को अपनाकर : डॉक्टर स्वाति दीपक दुबे

स्वतंत्र प्रभात

ब्यूरो प्रयागराज। सीएमपी कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग तथा आईआईसी, सीएमपी कॉलेज प्रयागराज के संयुक्त तत्वधान में दिनांक 9 अप्रैल 2025 को एक दिवस प्रशिक्षण/ कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। यह कार्यशाला स्वयं सहायता समूह के बीच उद्धमिता के निर्माण व सुदृढता पर आधारित थी। इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत डॉक्टर विनीता जयसवाल, संयोजिका , जन्तु विज्ञान विभाग ने किया। कार्यशाला में संस्थान नवाचार प्रकोष्ठ की संयोजिका प्रोफेसर अर्चना पांडे ने आविष्कार और नवाचार के अंतर को बताने के साथ-साथ संस्था इनोवेशन सेल के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। कार्यशाला की मुख्य वक्ता डॉक्टर स्वाति दीपक दुबे, एसएमएस केवी के काला काकड़ , प्रतापगढ़ ने अपने उद्बोधन में बताया कि किसी भी काम को अगर सच्चे मन से किया जाए तो रास्ते खुद मिलने लगते हैं। यहां काला काकड़ की महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है की कोई भी कम छोटा या बड़ा नहीं होता बस काम करने तथा सिखने का गुण होना चाहिए। आज महिला समूह के माध्यम से अपने बने हुए उत्पादों को बेचकर यह महिलाएं आय अर्जित कर एक सफल उद्यमी बन रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा श्रोत बन रही हैं। डॉ. स्वाति ने कॉपीराइट, पेटेंट क्यूआर कोड और स्वयं सहायता समूह के बारे में भी पूरी जानकारी दी। इस कार्यशाला में काला काकड़ से आई एक स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती शीलू ने अपने समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शिनी भी जंतु विज्ञान विभाग में लगाई। इस कार्यशाला में डॉक्टर सुधि श्रीवास्तव ने मुख्य वक्ता का, डॉक्टर चारू त्रिपाठी ने प्रोफेसर अर्चना पांडे का , कुमारी गरिमा गुप्ता ने डॉक्टर विनीता जयसवाल जी का, कुमारी रूपल ने आईआईसी की सहसंयोजक डॉक्टर हिमानी चौरसिया का तथा श्रीमती शीलू का स्वागत कुमारी प्रियंका ने किया। इस कर्यशाला में सरस्वती वंदना कुमारी अर्पिता तथा कुमारी लवी ने प्रस्तुत की। कार्यशाला में मुख्य वक्ता का परिचय डॉक्टर निधि त्रिपाठी ने दिया। इस प्रशिक्षण/ कार्यशाला की संयोजिका डॉक्टर हेमलता पंत ने संचालन किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ज्योति वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज जायसवाल , डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा , डॉक्टर विनय कुमार सिंह, डॉक्टर अनुराधा साहित सौ विद्यार्थीयों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में आदित्य शर्मा, अनुराधा यादव, निधि गुप्ता, शिमोनी शिंघल, कुमारी प्रिया राज का विशेष सहयोग रहा।

संक्षिप्त ख़बरें

जिन्दाबाद के नारे लगाने वाले पुलिसकर्मी को एसपी ने किया निलंबित

हरदोई । पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की लाजवाब कार्यशैली का कोई शानी नहीं है वो अनुशासित और अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं ऐसी ही एक कार्यवाही एसपी जादौन ने आज की है आपको बताते चलें कि भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भूपेंद्र चौहान जो कि जिन्दाबाद के नारे लगा रहा था और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया फिर क्या था एसपी साहब ने तत्काल प्रभाव से सुरक्षाकर्मी भूपेंद्र चौहान को निलंबित कर दिया है। जनपद के समस्त पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही बरतते पाया गया तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

वृद्धाश्रम अल्लीपुर का एडीजे ने किया औचक निरीक्षण

.हरदोई। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भूपेन्द्र प्रताप ने आज वृद्धाश्रम अल्लीपुर का निरीक्षण किया अपर जिला जज ने वृद्धाश्रम अल्लीपुर में रह रहे वरिष्ठ नागरिको से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई और कहा कि अपने जीवन मे उत्साह बनाये रखिये और खुश रहिये और सारी चिंताए छोड़ दीजिए साथ रह रहे लोगो से मेलजोल बढ़ाइए। अपर जिला जज द्वारा वृद्धाश्रम प्रशासन आवश्यक को वस्तुओं की पूर्ति हेतु निर्देशित किया तत्पश्चात वृद्धाश्रम हेतु नवीन निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम अधीक्षिका व स्टाफ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी उपस्थित रहे।

मुट्ठी गंज पुलिस नेजुआ,सट्टा खेलते हुये 09 अभियुक्त किया गिरफ्तार

कब्जे से 5800/- रुपये नकद व जामा तलाशी 3360/- रूपये व 08 मोबाइल फोन व 01 पावर बैंक व (अन्य सामग्री) बरामद

स्वतंत्र प्रभात

ब्यूरो प्रयागराज। पुलिस आयुक्त प्रयागराज तरुण गाबा एवं अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर अजय पाल शर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में मुठ्ठीगंज पुलिस द्वारा दिनांक 09.04.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर 09 अभियुक्त 1. नरेश सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी शीशमहल थाना मुठ्ठीगंज जनपद प्रयागराज, 2. ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू केसरवानी पुत्र प्रेम चन्द्र केसरवानी निवासी 958 मालवीय नगर थाना मुठ्ठीगंज जनपद प्रयागराज, 3. सोनू यादव निवासी 668 मालवीय नगर थाना मुठ्ठीगंज जनपद प्रयागराज, 4. लाल बाबू पुत्र शहीद अहमद

निवासी 361 बहादुरगंज थाना कोतवाली जनपद प्रयागराज, 5. सुधांशु गुप्ता उर्फ प्रिंस गुप्ता पुत्र कृष्ण लाल गुप्ता निवासी 108 सराय थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज, 6. राजाराम पुत्र स्व0 विजय कुमार जायसवाल निवासी 100/101 बहराना ओल्ड लश्कर थाना कीडगंज जनपद प्रयागराज, 7. मो0 शहीद अहमद पुत्र मो0 हनीफ अहमद निवासी 160डी गढ़ी कला थाना शाहगंज जनपद प्रयागराज, 8. विमल श्रीवास्तव पुत्र सुरेश मोहन श्रीवास्तव निवासी 318 मालवीय नगर थाना मुठ्ठीगंज जनपद प्रयागराज, 9. गुलाम जीलानी पुत्र स्व0 फिरदौस खान निवासी 190 तुलसीपुर थाना करैली जनपद प्रयागराज को इरफान उर्फ बब्लू का गोदाम म0नं0 117 मालवीय नगर थाना मुठ्ठीगंज प्रयागराज थाना क्षेत्र मुठ्ठीगंज से जुआ/सट्टा खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 5800/- रुपये नकद व जामा तलाशी 3360/- रूपये व 06 एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन व 02 की-पैड मोबाइल फोन व 01 पावर बैंक व (अन्य सामग्री) बरामद की गयी। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2025 धारा 112(2) बी0एन0एस0 व 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रयागराज जंक्शन पर रेल कर्मचारियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन पर रेल कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक रेल गार्ड, जिसे ट्रेन मैनेजर भी कहा जाता है, द्वारा एक टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) की सरेआम पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। घटना प्लेटफॉर्म पर दिनदहाड़े घटी, जिससे यात्रियों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार, पिटाई का शिकार हुआ टीटीई मुंबई डिवीजन से संबंधित है। फिलहाल मारपीट के पीछे के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना के वीडियो ने रेलवे विभाग को भी सकते में डाल दिया है। रेलवे प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की

जाएगी।इस घटना ने रेलवे में आंतरिक अनुशासन और कर्मचारियों के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग घटना की निंदा कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से उचित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

सुनवाई वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की पीठ करेगी सुनवाई

स्वतंत्र प्रभात

हाल ही में संसद से पारित होने के बाद बने इस वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और जमीयत उलमा-ए-हिंद समेत विभिन्न पक्षों ने न्यायालय में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की हैं।वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी

याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में 'कैविएट' दायर कर मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया था। 'कैविएट' किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसकी सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। हाल ही में संसद से पारित होने के बाद बने इस वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और जमीयत उलमा-ए-हिंद समेत विभिन्न पक्षों ने न्यायालय में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया था।

ई-रिक्शा पर एआरटीओ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कानपुर। एआरटीओ व सेक्टर प्रभारी कोयला नगर द्वारा मंगला विहार अंडरपास पर संयुक्त अभियान चलाकर बिना वैध प्रपत्र/अनाधिकृत रूप से संचालित एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी । शासन के आदेश के क्रम में व उच्चाधिकारियों के निर्देशन में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष रुप से ई-रिक्शा वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, गलत नंबर प्लेट एवं बिना फिटनेस के सम्बन्ध में चेकिंग की गयी और यातायात नियमों का पालन न करने वाले 58 ई-रिक्शा का चालान किया गया। वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने हेतु जागरुक किया गया । यातायात नियमों का पालन न करने वालो पर की गई कार्यवाही की गई। रॉन्ग साइड 217, ट्रिपल सवारी टू व्हीलर 84, अन्य 31, कुल 1511 वाहनों पर कार्यवाही की गई।

बे-मौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता

कछौना, हरदोई। बे-मौसम बारिश होने से किसानों की फसल गेहूं व सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिसके चलते किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वही फसल बीमा की राशि फसल काटने के बाद किसानों को फसल नुकसान मुआवजा के नाम पर केवल गुमराह किया जाता है। वृहस्पतिवार की सुबह से मौसम खराब होने के कारण मौसम विज्ञान के अनुसार लगातार दो दिन बारिश की संभावना से किसानों की तैयार गेहूं, सब्जी व ऊरद की फसल काफी प्रभावित होगी। बारिश व तेज हवाओं के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। जिसका फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। जिसमें किसानों के सामने परिवार का भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के फसल नुकसान की भरपाई हेतु फसल बीमा के तहत मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए किसानों को टोल फ्री नंबर 1800 2005142 पर 24 घंटे के अंदर सूचना दर्ज कराना होता है। परंतु यह टोल फ्री नंबर लगना संभव नहीं है। सबसे ज्यादा नेटवर्क की समस्या रहती है। फसल बीमा के नाम केवल किसानों के साथ छलावा किया जाता

महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती-समानता और शिक्षा का संकल्प दिवस

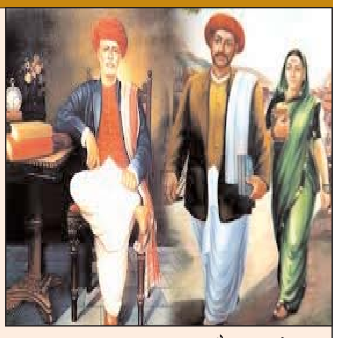

[जब शिक्षा बनी हथियार, और नारी बनी प्रहरी- फुले की क्रांति का सार]

"जब तक शिक्षा का प्रकाश समाज के हर कोने तक नहीं पहुँचेगा, तब तक अंधेरे में डूबी यह व्यवस्था हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं होने देगी।" यह शब्द उस महान समाज सुधारक के हैं, जिन्होंने भारत के सामाजिक ढांचे को जड़ से हिलाकर एक नई चेतना का संचार किया। महात्मा ज्योतिबा फुले–एक नाम, एक विचार, एक क्रांति–जिन्होंने जातिवाद के जंजीरों को तोड़ने, अंधविश्वास के कुहासे को हटाने और महिलाओं को उनके हक की रोशनी दिखाने का बीड़ा उठाया। उनकी जयंती, जो हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है, केवल एक तारीख नहीं, बल्कि समता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के उस संकल्प का प्रतीक है, जिसे उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया। आइए, उनके जीवन, कार्यों और विचारों को करीब से देखें और समझें कि आज के दौर में भी वे क्यों प्रासंगिक हैं।

महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में एक माली परिवार में हुआ। उस समय का समाज जाति और वर्ण के आधार पर बँटा हुआ था। ऊँच-नीच की भावना, छूआछूत और महिलाओं की दयनीय स्थिति सामाजिक जीवन का हिस्सा थी। ज्योतिबा का परिवार निम्न मानी जाने वाली शूद्र जाति से था, और इसीलिए उन्हें भी बचपन से सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन यह भेदभाव उनके लिए हताशा का कारण नहीं, बल्कि बदलाव की प्रेरणा बना। छोटी उम्र में ही उनके मन में सवाल उठने लगे–क्यों कुछ लोग दूसरों से ऊँचे माने जाते हैं? क्यों महिलाओं को शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा जाता है? इन सवालों ने उनके जीवन की दिशा तय की। उनकी शिक्षा का सफर भी आसान नहीं था। पारंपरिक व्यवस्था में निम्न जातियों के लिए शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पढ़ने का अवसर दिया। स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान ज्योतिबा पश्चिमी विचारकों जैसे थॉमस पेन से प्रभावित हुए, जिनके विचारों ने उनकी सोच को और व्यापक बनाया। यहीं से उनके भीतर वह चिंगारी जली, जो आगे चलकर सामाजिक क्रांति की मशाल बनी।

महात्मा फुले का सबसे बड़ा योगदान था शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने का प्रयास। उनका मानना था कि अज्ञानता ही सामाजिक कुरीतियों की जड़ है। उस दौर में जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, तब फुले ने 1848 में पुणे में भारत की पहली कन्या पाठशाला की स्थापना की। यह कदम उस समय की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। इस स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को दी, जिन्होंने न केवल शिक्षिका की भूमिका निभाई, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रतीक बनकर उभरीं। सावित्रीबाई को स्कूल जाते समय पत्थरों और कीचड़ से हमले झेलने पड़े, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई का संकल्प अडिग रहा। फुले ने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए शिक्षा का मतलब था चेतना का जागरण, आत्मसम्मान का विकास और सामाजिक बराबरी की नींव। उन्होंने दलितों और शोषित वर्गों के लिए भी स्कूल खोले, ताकि वे भी अपने अधिकारों को समझ सकें और अन्याय के खिलाफ लड़ सकें। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ज्ञान को अपने एकाधिकार में रखा था। फुले ने इस एकाधिकार को तोड़ने का साहस दिखाया और कहा, ÷ज्ञान सभी का अधिकार है।÷

1873 में ज्योतिबा फुले ने %सत्यशोधक समाज% की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सत्य, तर्क और समानता के आधार पर समाज का पुनर्गठन। इस संगठन ने जातिगत भेदभाव, धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। फुले का मानना था कि समाज को सुधारने के लिए हमें पहले उन ढोंगों को खत्म करना होगा, जो लोगों को गुलाम बनाए रखते हैं। सत्यशोधक समाज ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह का विरोध किया और शूद्रों-अतिशूद्रों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस संगठन के माध्यम से फुले ने एक ऐसा मंच तैयार किया, जहाँ शोषित वर्ग अपनी आवाज़ उठा सकें। फुले न केवल समाज सुधारक थे, बल्कि एक प्रभावशाली लेखक भी थे। उनकी किताब 'गुलामगिरी' (1873) भारतीय समाज की गहरी आलोचना करती है। इसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था को गुलामी का मूल कारण बताया और ब्राह्मणवादी सोच को निशाना बनाया। फुले ने लिखा, "जब तक शूद्र और अतिशूद्र अपनी गुलामी को नहीं समझेंगे और इसके खिलाफ संगठित नहीं होंगे, तब तक वे आज़ाद नहीं हो सकते।" उनकी एक अन्य रचना 'तृतीय रत्न' एक नाटक के रूप में थी, जिसमें उन्होंने अंधविश्वास और धार्मिक ढोंग पर तंज कसा। उनके लेखन का उद्देश्य था लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

फुले का मानना था कि समाज का सच्चा विकास तभी संभव है, जब उसकी आधी आबादी–यानी महिलाएँ–शिक्षित और सशक्त हों। उन्होंने महिलाओं के लिए न केवल शिक्षा की वकालत की, बल्कि विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधारों को भी बढ़ावा दिया। उस समय विधवाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अपमान सहना पड़ता था। फुले ने अपने घर में एक आश्रय खोला, जहाँ विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिला। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। सावित्रीबाई के साथ मिलकर उन्होंने महिलाओं को यह समझाया कि वे भी पुरुषों के समान हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। फुले का जीवन आसान नहीं था। उनके विचारों ने उस समय की सत्ता और रूढ़िवादी समाज को चुनौती दी, जिसके कारण उन्हें तिरस्कार, विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई में डर का कोई स्थान नहीं है। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे समाज सुधार के लिए सक्रिय रहे। 28 नवंबर, 1890 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं।

आज जब हम 21वीं सदी में हैं, तब भी फुले के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। जातिवाद, लैंगिक असमानता और अशिक्षा आज भी समाज में मौजूद हैं। शिक्षा का अधिकार भले ही संवैधानिक रूप से सुनिश्चित हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों और वंचित वर्गों तक इसकी पहुँच अभी भी सीमित है।

फुले का सपना था एक ऐसा समाज, जहाँ हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के सम्मान और अवसर मिले। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि यह सपना अभी पूरा नहीं हुआ है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से हो सकती है, बशर्ते उसका संकल्प मजबूत हो। वे एक दीपस्तंभ थे, जिन्होंने समाज को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें–शिक्षा को बढ़ावा दें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएँ और समानता के लिए संघर्ष करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

प्रो. आरके जैन

वाह मीलार्ड! आपहु फजीहत औरों को नसीहत

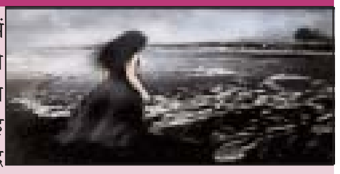

आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के बंगले के एक कमरे में बोरों भरे जले नोटों के मिलने के बाद सटीक कार्रवाई करने में झिझकने वाली देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर से देशभर के राज्यपालों के राज्य की निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करने के प्रयास पर काफी सख्ती दिखलाई है और नसीहत दी है कि राज्यपालों को अपनी कुर्सी की गरिमा बनाए रखते हुए राज्य विधानमंडल की सलाह और सहायता से काम करना होगा। उन्हें राजनीतिक कारणों से राज्य विधानसभाओं पर अपना नियंत्रण नहीं रखना चाहिए और न ही लोकतंत्र की राह में रोड़े अटकाने चाहिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को नसीहत दी है, इसके पहले भी वह कई मौकों पर इस बात को दोहरा चुका है, मगर दुःखद पहलू यह है कि देश में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव सामने आते ही रहते हैं। विशेषकर उन राज्यों में जहां केंद्र में सत्ताधारी पार्टी की सरकार नहीं होती है। आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह राज्यपाल के पद का उपयोग, दुरुपयोग और कुप्रयोग करती है। आरोप यह भी लगता है कि राज्यपाल के पद को केंद्र ने कठपुतली बना डाला, जो केंद्र के इशारों पर हमेशा राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए तैयार रहता है। संभवत यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को नसीहत दी है कि उन्हें लोकतंत्र की राह में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बड़ी राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की ओर से रोके गए 10 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस दौरान दो टूक शब्दों में कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक नहीं सकते हैं। वे %पूर्ण वीटो% या %आंशिक वीटो% (पॉकेट वीटो) का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। जनता विधायकों को चुनती है और इसलिए लंबे समय तक बिल नहीं रोके। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य विधानसभा से पास किए गए विधेयकों पर कार्रवाई के लिए राज्यपालों के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा है कि राज्यपाल का 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना गैरकानूनी और मनमाना था। इसलिए इसे रद्द किया जाता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ये विधेयक उस तारीख से पास माने जाएंगे, जब इन्हें दोवारा राज्यपाल के सामने पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस तरह का निर्देश दिया है। कोर्ट राज्यपालों के लिए विधेयक पर कार्रवाई करने की समय सीमा तय की है। शीर्ष अदालत के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की ओर से कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्रवाई न करें। सर्वोच्च अदालत ने समय सीमा तय करते हुए कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अधिकतम एक महीने तक रोक सकते हैं। अगर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किसी विधेयक को रोकना चाहते हैं, तो उन्हें इसे तीन महीने के अंदर विधानसभा को वापस भेजना होगा। अगर राज्य विधानसभा विधेयक को दोबारा पास करती है, तो राज्यपाल को एक महीने के अंदर उसे मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो अदालतें न्यायिक समीक्षा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को दोबारा भेजे गए विधेयकों को पास मानने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को ध्यान रखना चाहिए कि वे राज्य विधानसभा के सामने बाधाएं खड़ी करके जनता की इच्छा को न दवाएं। राज्य विधानसभा के सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। वे जनता की भलाई के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से विधेयकों को लेकर विवाद चला आ रहा था और विधेयकों को रोके जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मामले में फैसला सुनाते हुए शीर्ष न्यायालय ने राज्यपालों को नसीहत दी कि उन्हें क मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए, उन्हें राजनीतिक विचारों के हिसाब से नहीं बल्कि संवैधानिक शपथ के हिसाब से काम करना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को नवंबर 2023 में 12 विधेयक भेजे गए थे, जिनमें से दो को उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया और 10 पर अपनी सहमति नहीं दी। राज्यपाल को जो 12 विधेयक भेजे गए थे उनमें ज्यादातर राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों से जुड़े थे, ये विधेयक जनवरी 2020 और अप्रैल 2023 के बीच संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के लिए राज्य विधानसभा की ओर से भेजे गए थे। राज्यपाल ने उन्हें अनिश्चित काल के लिए रोक दिया था। आखिरकार, जब राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में राज्यपाल की कथित निष्क्रियता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो राज्यपाल ने तुरंत दो विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और बाकी 10 पर सहमति रोक दी। अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में विधेयकों को मंजूरी देने में लंबे समय तक की देरी विपक्ष शासित राज्यों और उनके राज्यपालों के बीच टकराव का कारण बन गई है, जिसके कारण कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि इस तरह का आचरण रोजमर्रा के प्रशासन को बाधित कर रहा है। तमिलनाडु से पहले केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें उन पर महत्वपूर्ण विधेयकों को रोके रखने का आरोप लगाया गया था। इसी तरह से पंजाब सरकार ने भी राज्यपाल रहे बनवारी लाल पुरोहित पर सात विधेयकों को विचाराधीन रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट गई थी। साल 2023 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे 'आग से खेल रहे हैं'। दरअसल राज्यपाल ने स्पीकर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध करार दिया था और तर्क दिया था कि चूंकि विधानसभा का सत्र वैध नहीं है तो वह विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं दे सकते हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, लेकिन पंजाब की स्थिति को देखकर लगता है सरकार और उनके बीच बड़ा मतभेद है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से राज्यपालों को उनके उत्तरदायित्व निर्वाह की नसीहत दी है, उनको आत्मसात करना चाहिए। राज्यपालों को चाहिए कि चुनी हुई सरकार का सहयोग करें। मगर दूसरी तरफ राज्य सरकारों को भी चाहिए कि राज्यपाल को केंद्र का 'आदमी' मान कर नजरअंदाज करें याउनकी अवहेलना करें। राज्यपाल और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की जरूरत है।लेकिन कालेजियम के जरिए भाई भतीजे परिवार जन को पीढ़ी दर पीढ़ी न्यायपालिका की सर्वोच्च पदों पर आसीन करने वाली व्यवस्था की इस नसीहत पर सवाल तो उठेंगे। क्या मीलार्ड आपहु फजीहत ओर दूसरो को नसीहत का नजीर तो नहीं पेश कर रहे हैं?

मनोज कुमार अग्रवाल

राष्ट्रीय पेट दिवस- पशु-प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी की पुकार

11 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय 'पेट दिवस' पालतू जानवरों के प्रति प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी के निर्वहन की याद दिलाता है। इसका उद्देश्य पालतू जानवरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। आज का मनुष्य काम, लक्ष्य और उपलब्धियों की दौड़ में एक मशीन बनता जा रहा है। शोध बताते हैं कि इस तेज़ रफ्तार, तनावपूर्ण और डिजिटल युग में किसी भी पेट ऐनिमल को घर में पालना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी हो सकता है। यह न केवल अकेलेपन में भावनात्मक सहारा देता है, बल्कि एक सच्चे साथी, अच्छे श्रोता और निस्वार्थ प्रेम करने वाले की कमी भी महसूस नहीं होने देता।

अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि पेट्स के साथ समय बिताने से तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, मन में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। विशेषतः वृद्धावस्था में जब अकेलापन और निष्क्रियता एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, ऐसे में पालतू जानवर वृद्धजनों के लिए संबल बन सकते हैं तथा उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। पेट्स छोटे बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। देखा गया है कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताने वाले बच्चों में न केवल दया, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, बल्कि वे जीवों के प्रति प्रेम और देखभाल की आदत भी सीखते हैं। हालाँकि, यह ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को पेट्स के साथ तब तक अकेला न छोड़ा जाए जब तक वे जानवर की प्रकृति को पूरी तरह समझ न लें। उन्हें सिखाया जाए कि जानवरों को प्यार से छूना चाहिए, उनकी पूंछ खींचना या झकझोरना उचित नहीं है। पालतू जानवर हमें प्रकृति से भी जोड़ते हैं। वे सिखाते हैं कि इस धरती पर हर प्राणी का समान अधिकार है और हमें उनके साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। यह पर्यावरणीय चेतना के विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

किन्तु किसी भी जानवर को पालने से पहले कुछ आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त करना ज़रूरी है, जैसे–उसकी नस्ल क्या है? आयु कितनी है? उसके लिए उपयुक्त आहार क्या है, कितनी मात्रा में और कितनी बार देना चाहिए? कौन-से खाद्य पदार्थ उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं (जैसे कुत्तों को चॉकलेट, प्याज, अंगूर आदि)? टीकाकरण कब कराना चाहिए? डी-वॉर्मिंग और एंटी-पैरासाइट ट्रीटमेंट कब देना चाहिए? किस स्थिति में और किस प्रकार के व्यवहार (जैसे–भोजन में रुचि न लेना, खेल में अरुचि, अकेले रहना, आदेश न मानना, आक्रामक हो जाना आदि) के आधार पर उसे पशु-चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए? साथ ही, पालतू जानवर को जीवन के आरंभिक महीनों में किसी योग्य प्रशिक्षक से प्रशिक्षण दिलाना, भविष्य में पालक और पेट के बीच अच्छे संबंध के लिए अनिवार्य है।

आजकल सड़कों और मोहल्लों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और उनके काटने की घटनाएं भी। छोटे बच्चों को कई बार जान से हाथ धोना पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं–समय पर नसबंदी और रेबीज़ का टीका न लगवाना, भूख और असुरक्षा, प्रजनन काल की स्वाभाविक आक्रामकता, मनुष्यों का उकसाने वाला या डराने वाला व्यवहार, अधिक भूख, शोरगुल, बीमारी, आदि। भोजन में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की कमी से 'सिरोटेनिन' हार्मोन के स्तर में गिरावट आ सकती है, जो आक्रामकता का कारण बनता है। रंगीन जंक फूड या रसायनयुक्त भोजन से हाइपरएक्टिविटी और ऐग्रेसन बढ़ सकते हैं। अत्यधिक प्रोसेस्ड या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ भी चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। इन दिनों कुछ लोग भविष्यवक्ताओं की सलाह पर ग्रह-निवारण हेतु आवारा कुत्तों को टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड, मिठाई आदि खिलाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि ये खाद्य पदार्थ कुत्तों का प्राकृतिक भोजन नहीं हैं और इनके सेवन से उनकी पाचन-शक्ति, व्यवहार और ऊर्जा स्तर पर विपरीत असर पड़ सकता है, जिससे वे चिड़चिड़े या अत्यधिक उत्तेजित हो सकते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों की आदत पड़ने पर, यदि कुछ दिन वह भोजन न मिले तो कुत्ते जब किसी व्यक्ति को हाथ में पैकेट लिए देखते हैं, तो निराशा या उत्तेजना में आक्रामक हो सकते हैं। यदि एक स्थान पर कई कुत्तों को सामूहिक रूप से भोजन दिया जाता है, तो उनके भीतर झुंड मानसिकता विकसित हो सकती है। इससे उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और वे एक-दूसरे या इंसानों पर भी सामूहिक रूप से हमला कर सकते हैं। अतः हमें आवारा पशुओं की मनःस्थिति और सीमाओं को समझना चाहिए। किसी भी गुस्से, डरे या बीमार पशु को छेड़ने से बचना चाहिए। आज यह भी ज़रूरी है कि हम जानवरों को खरीदने के बजाय उन्हें गोद लेने को प्राथमिकता दें। सड़कों पर बेसहारा जानवरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि शेल्टर हाउस सीमित हैं। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो किसी चिड़ियाघर में भी पशु गोद ले सकते हैं। अतः राष्ट्रीय पेट दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि यह एक स्मरण है कि पशु भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और उन्हें भी उतना ही प्रेम, सम्मान और देखभाल मिलनी चाहिए जितना हम अपने अन्य संबंधों को देते हैं। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि पेट पालक अपनी कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियाँ समझें और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता का भी ध्यान रखें।

डा. मनमोहन प्रकाश

संपादकीय

संविधान के अनुरूप सख्ती से लागू हो एनिमल्स लॉ'संविधान के अनुरूप सख्ती से लागू हो एनिमल्स लॉ'

पृथ्वी सभी जीवों की आश्रय है। जो सभी जीवों को जीवन, जल, हवा, और भोजन प्रदान करती है। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों का स्रोत है। पृथ्वी की सुंदरता, विविधता, और जीवन को बनाए रखने की क्षमता अद्वितीय है। लेकिन आज के मनुष्यों ने स्वयं को सर्वशक्तिशाली मान लिया है और वो समस्त भूमंडल पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करते रहते है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इंसान अन्य जीवो के प्रकृति आवास एवं जीवो को नुकसान पहुंचा रहे है।

प्रकृति और जानवरों के प्रति मनुष्य के कर्तव्य नैतिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इंसान को नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी का आस्तित्व जैव विविधता, जंगलों और पहाड़ों की धनी प्रकृति पर ही टीका है। और इंसान जितना अधिक इन चीजों को नुकसान करेगा, उतना ही अधिक धरती का तापमान बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन से जीवन संकट में आएगा।

वैश्विक स्तर पर 11 अप्रैल को 'पालतू पशु दिवस' के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यह दिवस सिर्फ पालतू पशुओं के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी पशु-पक्षिओं के प्रति प्रेम एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता हैं। लोगों को पशुओं के प्रति जिम्मेदारी और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सोचने का मौका देता है।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ पशुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व रहा है। हाल की वर्षों से विकास कार्य की आड़ में जिस तरह से जानवरों के प्रकृति आवास का विनाश किया जा रहा है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आधुनिकता और विकास के नाम पर जंगलों की कटाई और पहाड़ों पर दखलंदाजी एक गलत निर्णय है। भारत में पशुओं के संरक्षण और कल्याण के लिए कई कानून मौजूद हैं, जो पालतू और जंगली दोनों तरह के जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय संविधान में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने और उनकी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51(ह) में भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, जिसमें जंगल, नदियाँ, झीलें और वन्यजीव शामिल हैं, साथ ही सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखे। अनुच्छेद 48 में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960- भारत का सबसे महत्वपूर्ण पशु कल्याण कानून है, जिसका उद्देश्य जानवरों को अनावश्यक पीड़ा और क्रूरता से बचाना है। इसमें धारा 11 किसी भी जानवर को पीटना, लात मारना, भूखा रखना, या पालकर छोड़ देना अपराध है। इसी अधिनियम के तहत एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। धारा 9 में संरक्षित प्रजातियों का शिकार करना या उन्हें पालतू बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम और विभिन्न पशु संरक्षण कानूनों के होने के बावजूद भी, जीवों, जंगलों और वन्यजीवों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आए दिन जानवरों के साथ इंसानों द्वारा क्रूरता की घटनाएं देखने को मिल जाती है। इन कानूनों का उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना, जैव विविधता को संरक्षित करना और वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर अंकुश लगाना है। एनिमल्स लॉ के प्रति कानून का कड़ाई से सक्रिय होना जरूरी हैं।

अम्बिका कुशवाहा 'अम्बी'

डिजिटाइजेशन से शिक्षा को वैश्विक पहचान बनाने की जरूरत

भारत में विभिन्न विभागो में डिजिटलाइजेशन शुभ संकेत की तरह दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर शिक्षा जगत तथा बालक बालिकाओं के की डिजिटलाइजेशन एक वरदान की तरह होगा। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के युग में आने वाले बच्चों की पीढ़ी को इसमें पारंगत होना अत्यंत आवश्यक है । वैश्विक स्तर पर भी बच्चों को प्रतिस्पर्धा हेतु इस विधा में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी, तब जाकर हम रोजगार मूलक हो पाएंगे। वर्तमान में पिछले दो वर्षो से सबसे ज्यादा कोविड-19 के संक्रमण ने जीवन मृत्यु के बाद जिस क्षेत्र का सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो शिक्षा जगत के क्षेत्र का ही हैद्य तीन वर्षो से स्कूल कॉलेज लगातार बंद और खुलते आ रहे थेद्य मूल शिक्षा खासकर बच्चों के लिए समय बेकार ना जाए इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान देश में किया गया हैद्य ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से संलग्न होती हैद्य इसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा शिक्षक वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा लगातार लाभान्वित भी होते हैंद्य इसमें शिक्षक आभासी तौर पर उपस्थित होते हैं एवं आभासी स्तर पर ही शिक्षा प्रदान की जाती हैद्य आज ऑनलाइन शिक्षा लाइव वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस, लाइव ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन टेस्ट और घर पर पी,डी,एफ आधारित ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही हैद्य ऑनलाइन शिक्षा में अनेक लाभ के साथ हानियों का भी समावेश है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कक्षाओं का शिक्षण अधिक रोचक कथा संवादात्मक बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे इस पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षक कोई भी कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए यात्रा के दौरान या किसी कारणवश अवकाश लेने पर छूटे हुए विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज के प्रोत्साहन से विद्यार्थी नए-नए ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, साथ ही शिक्षकों पर सक्षम, अद्यतन न होने और शिक्षकों की कमी के जो आरोप लगते हैं उसे भी दूर किया जा सकता है। वैसे भी भारत जैसे विशाल देश में पर्याप्त स्कूल कॉलेज नहीं है ।ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प से स्कूल कॉलेज कम होने का दबाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा और स्कूल कॉलेज के दाखिले में अनिवार्यता भी धीरे-धीरे कम होने लगेगी। ऑनलाइन शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी है, करोना संक्रमण की दृष्टि से लाभकारी है, और आर्थिक रूप से भी आवागमन के खर्चे से बचत के रूप में देखा जा रहा है। ऑनलाइन विद्यार्थी स्वयं शिक्षा के स्तर को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि उन्हें क्या पसंद है और किस क्षेत्र में उन्हें आगे जाकर शोध करना है या बड़ी डिग्री हासिल करना है। इससे ज्ञान की विविधता भी प्राप्त होती है। समय की बचत के साथ इसमें आर्थिक लाभ भी होता है। तीव्रता और गहनता की दृष्टि से ऑनलाइन शिक्षा काफी महत्वपूर्ण तथा प्रभाव कारी है। ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सूचनाएं एवं डाटा संग्रहण तीव्रता से होता है तथा सृजनशीलता की विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय विद्यालय और शिक्षकों की उपलब्धता भी छात्रों की मदद के लिए सदैव रहती है। दूसरी तरफ ऑनलाइन शिक्षा से कई समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। ऑनलाइन शिक्षा नेटवर्क कंप्यूटर पर आधारित होती है इसके लिए कई उपकरणों की जरूरत होती है जो काफी आर्थिक रूप से महंगे होते हैं ।भारत जैसे देश में ऑनलाइन शिक्षा सबके लिए संभव नहीं है। विशाल जनसंख्या वाले देश में हर जगह कंप्यूटर नेटवर्क और मोबाइल की उपलब्धता इतनी आसान नहीं है, जितनी की योजना बनाते समय कल्पना की गई थी। बच्चों की रचनात्मक क्षमता का भी इसमें नुकसान होता है क्योंकि पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारियां किताबों में ना खोजकर इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। उनमें जिज्ञासा का अभाव पैदा होने लगता है एवं रचनात्मकता भी खत्म होती है। ऑनलाइन शिक्षा में छोटे बच्चों को शारीरिक व्यायाम एवं शारीरिक कसरत का अभाव पैदा होने लगता है, छोटे बच्चों को खेलकूद वाली शिक्षा उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाती है पर ऑनलाइन शिक्षा में ऐसा संभव नहीं है। स्कूल कॉलेजों में नियमित शिक्षा कक्षाओं में बैठकर शिक्षकों के दबाव में अनुशासन में दी जाती है, जिससे एक साम्यता छात्रों में बनी रहती है पर ऑनलाइन शिक्षा में छात्र किसी भी नियम से न बंद कर खुलकर इंटरनेट का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। भारतीय तथा विदेशी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा अत्यंत तनावपूर्ण होती है। एक रिसर्च के अनुसार 15 मिनट के ऑनलाइन अध्ययन के बाद छात्रों की नोट्स लेने में रुचि खत्म हो जाती है एवं व मनोरंजन साइड की तरफ झुकने लगते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है सबसे ज्यादा आंखों पर असर पड़ने लगता है बहुत जल्दी ही बच्चों को आंखों में चश्मे और लेंस लगने लगते हैं। पर परिवर्तन संसार का एक मूलभूत नियम है जो राष्ट्र समाज व व्यक्ति अपने को समय के साथ बदल लेगा वह निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे जाएगा। वर्तमान युग डिजिटल युग है कोविड-19 के संक्रमण ने पूरे विश्व को अपनी सोच में परिवर्तन आने के लिए मजबूर कर दिया और यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर हर राष्ट्र ऑनलाइन शिक्षा के लिए जोर शोर से शिक्षा जगत में तैयारियां कर रहा है। यद्यपि इस क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों ने ऑनलाइन की शिक्षा की पहल बहुत पहले से करनी शुरू कर दी थी।

ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि कुछ चुनौतियां विद्यमान है जिसे हमें दूर दूर कर इसे अत्यंत सुलभ बनाना होगा।आज की परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा के लाभ अत्यंत अधिक हैं। डिजिटल युग में कोरोना संक्रमण की भयावहता से ऑनलाइन शिक्षा के महत्व में काफी वृद्धि हुई है। ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य काफी उज्जवल है, यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। हमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत एवं निगरानी करनी होगी ताकि छात्रों तथा शिक्षा के जगत से जुड़े जुड़े लोगों को तकनीकी ज्ञान का पूरा लाभ प्राप्त हो सके एवं उनके मानसिक, शारीरिक एवं चरित्र का निरंतर विकास होता रहे।

संजीव-नी।।

माँ बाप जैसा मीठा नही रिश्ता मिलता।

नफरत से प्यार का नही रिश्ता बनता ,
लालच से सच्चाई का नही रिश्ता बनता।

जहां राग, द्वेष और दुश्मनी व्याप्त हो,
मातृ-पिता जैसा नही सगा वास्ता बनता।

कौन किसी का दुखड़ा सुनता है यहां,
ऐसे में कोई अच्छा नही रास्ता बनता।

ऊपरी तौर पर मिलते आपस मे सब
दिलों से दिल का रास्ता नहीं मिलता।

हर तरफ सन्नाटा अकेलापन क्यों है,
भाई से भाई खासा नही रिश्ता रखता।

रिश्ते प्यार सहानुभूति अब हवा हो गई ,
मीठे शब्द बोलने वाला नही सच्चा मिलता।
सिर्फ दिखावटी रिश्ते बच गए हैं अब,
अपनों से अब सच्चा नही वास्ता रखता।

बुजुर्ग तरसते सुनने को बच्चों के बोल,
माँ बाप जैसा मीठा नही रिश्ता मिलता।

संजीव ठाकुर

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

नगर मिश्रिख में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा का हुआ आयोजन

मिश्रिख (सीतापुर) मर्यादापुरुषोत्तम प्रभू श्री राम के जन्म दिवस रामनवमी पर नगर मिश्रिख में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जिसमे सैकड़ों की संख्या में रामभक्तों ने भाग लिया। आपको बता दें । कि रामनवमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिश्रिख द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिसमें संघ सहित सभी अनुसांगिक संगठनों ने भी इस बाइक रैली में भाग लिया । इस विशाल रैली के आयोजक अविजित मिश्रा व यात्रा संयोजक पूर्व विभाग संयोजक अभाविप मयंक शेखर शुक्ल रहे। कई दिन पहले इस शोभा यात्रा की तैयारियां की जा रही थी। जिसमें सूर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश बाजपेई, बीरू मिश्रा नैमिष,वेद मिश्र, अभिषेक अवस्थी,शुभम त्रिवेदी, मंजुल,अजय चौबे,रवि मिश्रा, विश्वजीत वर्मा,ने यात्रा समिति के रूप में शोभा यात्रा का आयोजन किया, यात्रा में नगर के व्यापारियों सरोजनी मेडिकल स्टोर, संतोष गुप्ता,सोनू सागर, प्रशांत वर्मा, शैलेन्द्र वैश्य आदि द्वारा पुष्प वर्षा की गई । राम नाम के जयकारों के साथ नगर के परसौली चुंगी के पास से यात्रा प्रारंभ हुई नगर भ्रमण कर नैमिषारण्य पहुंची वहां पर भी नगर भ्रमण किया गया। शोभा यात्रा का समांपन देवदेवेश्वर मंदिर में प्रसाद वितरण के साथ किया गया।

बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारी शुरू, 23 पदों के लिए 10 वकीलों ने खरीदे नामांकन पत्र, 15 अप्रैल को होगा मतदान

लहरपुर सीतापुर लहरपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है सोमवार को 10 वकीलों ने नामांकन पत्र खरीदे इनमें श्रवण जायसवाल, सरोज अवस्थी, कमलेश वर्मा, बूटा सिंह, कृपाशंकर पांडे, महेंद्र कुमार द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण बाजपेई, सुनील कुमार सिंह, आनंद वर्मा और श्रीकांत सिंह शामिल हैं चुनाव अधिकारी एडवोकेट कमलेश त्रिपाठी ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी नामांकन पत्रों की बिक्री सोमवार से बुधवार तक होगी उम्मीदवार 8 और 9 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकेंगे 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल है जरूरत पड़ने पर 15 अप्रैल को मतदान और मतगणना होगी बार एसोसिएशन में कुल 23 पदों के लिए चुनाव होंगे अध्यक्ष और महामंत्री के लिए एक-एक पद है वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए पांच पद हैं कोषाध्यक्ष का एक पद है संयुक्त सचिव के तीन पद और सदस्यों के लिए 12 पद निर्धारित हैं!!

नगर निगम ने अवैध होर्डिंग हटाये, 11 लाख 95 हजार के नोटिस भेजे

मथुरा। मथुरा वृंदावन महानगर क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध होर्डिंग, विज्ञापन पट लगाने वाले एक दर्जन से अधिक स्कूल, जमीन फ्लैट की बिक्री करने वाले संस्थान आदि पर 11 लाख 95 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। निगम ने संबंधित फर्मो को नोटिस देते हुए कहा है कि जुर्माने की धनराशि एक सप्ताह के अंदर जमा कर दें वरना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर आयुक्त शशांक चौधरी के आदेश के अनुपालन में शनिवार को वृन्दावन जोन सीमान्तर्गत नगर निगम की बिना अनुमति लगाये गये अवैध होर्डिग्स, विज्ञापन पटों का अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक के नेतृत्व में सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक कर अधीक्षक हरिकृष्ण गुप्ता राजस्व निरीक्षक मुकेश सिंह द्वारा चिन्हाकन किया गया। कुल 11 लाख 95 हजार रूपये जुर्माना निर्धारित करते हुये प्रत्येक फर्म को नगर निगम मथुर वृन्दावन वृन्दावन जोन द्वारा पृथक पृथक नोटिस जारी करते हुये नोटिस के माध्यम से कहा गया कि उक्त विज्ञापन होर्डिग्स को तत्काल हटाते हुये जुर्माने की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करा दें अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार प्रत्येक फर्म के विरूद्ध क़ानूनी कार्यवाही नगर निगम द्वारा अमल में लाई जायेगी।

शादी का आश्वासन देकर युवती से चोरी कराए जेवर, पैसा

मथुरा। चार साल तक युवती को शादी के झांसे में उलझाये रखा। युवती के विश्वास का फायदा उठा कर युवती को गुमराह करता रहा और युवती अपने घर से जेवरात और नकदी लाकर युवक को देती रही। इसके बाद युवक ने युवती से कह दिया कि उसकी शादी परिवार वालों ने तय कर दी है।

यह सुनकर युवती हैरान रह गई। युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई तो परिजन भी सकते में आ गये। इसके बाद युवक और उसके परिजनों से बात नहीं बनी तो पुलिस का सहारा लिया। युवती की ओर से दर्ज कराई शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामला थाना गोवर्धन थाना क्षेत्र का है। पीड़िता स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात थाना नौहझील के छनपाई निवासी विष्णु चौधरी से हुई। आईपीएस ट्रेनी थाना प्रभारी की टीम ने आरोपी विष्णु को नीमगांव चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

स्वतंत्र प्रभात

भदोही। जिलाधिकारी विशाल सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त उ0प्र0, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपंजीकृत एवं अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हैं। जारी अपंजीकृत एवं अवैध ई-रिक्शा के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश में प्रतिदिन एआरटीओ के नेतृत्व में ई-रिक्शा / टैम्पो की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग अभियान के दौरान अब तक कुल 25 ई-रिक्शा/ टैम्पो को निरूद्ध किया गया एवं 115 ई-रिक्शा/टैम्पो का चालान किया गया। यह विशेष अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जायेगा। केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 39 में "किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और मोटर यान तभी चलवायेगा या चलाने की अनुज्ञा देगा, जब तक वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रूप से प्रदर्शित हो।" अपंजीकृत वाहनों का संचालन से जहां एक ओर राजस्व की क्षति कारित होती है वहीं अनधिकृत रूप से संचालित वाहनों से यातायात में अवरोध एवं दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि कुछ अवयस्क एवं बिना लाइसेंस धारकों द्वारा ई-रिक्शा का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है तथा वाहन विक्रेताओं द्वारा अवैध एवं बिना फैक्ट्री में निर्मित ई-रिक्शा वाहन विक्रय किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः अवैध एवं अपंजीकृत ई-रिक्शा वाहनों के विक्रय एवं संचालन के विरुद्ध 01 से 30 अप्रैल तक परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही हैं। मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग अवैध ई-रिक्शा व ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज कर रहा है। इसके लिए, परिवहन व पुलिस विभाग की तरफ से 01 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं । विदित हो कि मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली थी। इसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि टेंपो, ई-रिक्शा चालकों का प्राथमिकता के साथ वेरीफिकेशन कराया जाए। उन्होंने इस बात को लेकर भी विशेष रूप से फोकस किया था कि प्रदेश में नाबालिग वाहन न चलाएं। किरायेदारों का भी वेरीफिकेशन कराया जाए तथा ओवरलोडिंग को जीरो प्वाइंट पर ही रोका जाए। इसके लिए जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इन सभी निर्देशों के पालन और उचित क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल माह में विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने एआरटीओ को निर्देशित किया कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत स्पीड ब्रेकर ,नो हॉर्न जोन ,स्पीड लिमिट, रोड पेंटिंग, स्कूल के पास कृपया धीमे चलें आगे बच्चे हैं ,हाइट गेज का बैरियर, अंधा मोड़ ,एकल मार्ग का साईनेज आदि जागरूकता व बचाव उपकरण संबंधित अधिशाषी अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस , सीओ ट्रैफिक, आबकारी विभाग व सड़क सुरक्षा समिति केसदस्यों से 01 सप्ताह के अंदर डिमांड लेकर शासन को प्रेषित करें, जिससे सड़क सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता उपायों को क्रियान्वित किया जा सके। बैठक मे जिलाधिकारी ने जिलें में यातायात नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। एडीएम ने जनपद में संचालित सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देशित किया की नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का कड़ाई से पालन करें, बिना हेलमेट के पेट्रोल डीजल ना दें।

कार्यालय ग्राम पंचायत पृथ्वीनगर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 11/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत पृथ्वीनगर विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 12/04/2025 से 22/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है = ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईंट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी ,मेज ,अलमारी, ई रिक्शा ,सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्तें लागू - टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
अवधेश कुमार वर्मा
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
शैलेश यादव
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत सुभाननगर अरिंगवा वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 11/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत सुभाननगर अरिंगवा विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 12/04/2025 से 22/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है = ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईंट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी ,मेज ,अलमारी, ई रिक्शा ,सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्तें लागू - टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
उमेश कुमार
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
दिनेश पांडेय
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत चांदपुर खानीपुर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 11/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत चांदपुर खानीपुर विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 12/04/2025 से 22/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है = ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईंट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी ,मेज ,अलमारी, ई रिक्शा ,सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्तें लागू - टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
संतराम वर्मा
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
शैलेश यादव
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत टिकरी वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 11/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत टिकरी विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 12/04/2025 से 22/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है = ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईंट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी ,मेज ,अलमारी, ई रिक्शा ,सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्तें लागू - टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
मनोज कुमार
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
दिनेश पांडेय
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत मझोरिया वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 11/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत मझोरिया विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 12/04/2025 से 22/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है = ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईंट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी ,मेज ,अलमारी, ई रिक्शा ,सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्तें लागू - टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
राकेश कुमार
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
दिनेश पांडेय
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत कठवारा वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 11/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत कठवारा विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 12/04/2025 से 22/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है = ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईंट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी ,मेज ,अलमारी, ई रिक्शा ,सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्तें लागू - टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
अशोक कुमार
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
दिनेश पांडेय
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत हरदौरपुर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2025-26 दिनांक 11/4/2025

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत हरदौरपुर विकास खंड बक्शी का तालाब में पंचम राज्य वित्त/15वां वित्त/मनरेगा/मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए जाने वाले कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 12/04/2025 से 22/04/2025 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

आपूर्ति सामग्री का नाम निम्नवत है = ईट प्रथम ,द्वितीय ईट, ईट गिट्टी सीमेंट पोर्ट लैंड ,वाइट सीमेंट,स्टोन ग्रेट 20 40 ,बालू ,लोकल बालू, मौरंग, सरिया तार, शौचालय सीट, दरवाजा प्लास्टिक लोहा के ,हैंडपंप सामग्री, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड, पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईंट, इंटरलॉकिंग टाइल्स ,पत्थर की पटिया, साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, कुर्सी ,मेज ,अलमारी, ई रिक्शा ,सफाई सामग्री ,एंटी लार्वा दवाएं, सीमेंट बेंच ,ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि ।

नियम व शर्तें लागू - टेंडर फार्म पंचायत भवन में कार्य दिवस निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने के उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2026 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान
कुसुमलता सिंह
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव
दिनेश पांडेय
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

संक्षिप्त खबरें

जैन रथयात्रा में उपस्थित रहे डीसीपी पूर्वी एसके सिंह

कानपुर। आज दिनांक 10.04.2025 को पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह व अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा जैन रथ यात्रा के अवसर पर स्वयं उपस्थित रहकर यात्रा को विधिवत रवाना किया तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था और तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी का निरीक्षण भी किया। धार्मिक मर्यादाओं एवं परंपराओं का सम्मान करते हुए यात्रा को विधिवत रवाना किया व पूरे मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यात्रा मार्ग पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति और सजगता को चेक करते हुए सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सहायक पुलिस आयुक्त कैंट व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक मुलगंज उपस्थित रहे।

गुजैनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी का सफल अनावरण

कानपुर। गुजैनी पुलिस ने सर्विलांस और क्राइम टीम की मदद से 9 अप्रैल को गुजैनी थाना क्षेत्र में एक बंद घर में हुई चोरी का सफल अनावरण किया है। आप्रेशन त्रिनेत्र की मदद से पुलिस चोरों तक पहुंची है। चोरी की

घटना का सफल अनावरण करते हुए डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि 9 अप्रैल को गुजैनी क्षेत्र में एक बंद घर में चोरी हुई थी। जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद एसीपी की निगरानी में तथा थानाध्यक्ष गुजैनी के नेतृत्व में सर्विलांस और क्राइम टीम ने काम करना शुरू किया। और 90 कैमरों को खंगाला, इस दौरान एक संदिग्ध आटो दिखाई दिया जिसका नंबर ट्रेस कर पुलिस चोरों तक पहुंची। इस घटना में चोरी गए माल समेत पुलिस ने चार अपराधियों राहुल, कपिल गुप्ता, हरभजन, तथा अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जब कि इस टीम का सरगना अभी फरार है। उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। लोग रेकी कर बंद घरों को निशाना बनाते थे।

डीसीपी पूर्वी ने ज़मीनी विवाद पर दोनों पक्षों को समझाया

कानपुर। थाना महाराजपुर अंतर्गत जमीन विवाद के संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह व अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी मनोज कुमार पाण्डेय व एसडीएम नर्वल द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। दोनों पक्षों से शांति

और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि विवाद का समाधान विधिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। मौके पर उपस्थित संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मामले की निष्पक्ष जांच करें तथा तथ्यों के आधार पर आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। ?दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि कोई भी पक्ष जबरन कब्जा करने, अवैध निर्माण या शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वितरण किया गया ई रिक्शा

सिराथू कौशाम्बी। जनपद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार देने के उद्देश्य से विकास खण्ड सिराथू में स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को ई रिक्शा वितरित किया गया है कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश मौर्य और खण्ड विकास अधिकारी भावेश शुक्ला ने हरी झण्डी दिखाकर किया है महिलाओं को ई रिक्शा दिये जाने के बाद जहां यातायात की समस्याएं खत्म होगी वहीं महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनके परिवार खुशहाल होगा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश मौर्य ने बताया कि सिराथू ब्लॉक परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्व रोजगार के लिए प्राप्त ई रिक्शा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया ।साथ में खण्ड विकास अधिकारी भावेश शुक्ला सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे ई रिक्शा प्राप्त करने वाली सभी बहनों को हार्दिक बधाई एवं अनन्त शुभकामनाएँ उन्होंने दी हैं।

पुलिस थाना सरोजिनी नगर और वसंत कुंज द्वारा दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। 05 अप्रैल को, पीएस सरोजिनी नगर के अधिकार क्षेत्र में गश्त के दौरान,एचसी प्रदीप और सीटी। रोनित सीएनजी पंप के पीछे पार्क डीजीआई ब्लॉक,सरोजिनी नगर के पास पहुँचे जहाँ एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़ा। संदेह के आधार पर,संदिग्ध का पीछा किया गया और उसे पकड़ लिया गया। संदिग्ध से क्षेत्र में उसकी उपस्थिति के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। उसकी सरसरी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। टीम ने तुरंत ड्यूटी अधिकारी को सूचित किया और पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सनी पुत्र ओमप्रकाश निवासी पिलांजी गांव, सरोजिनी नगर, दिल्ली के रूप में हुई। तदनुसार, एफआईआर संख्या 130/2025 यू/एस 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत पीएस सरोजिनी नगर में मामला दर्ज किया गया और मामले में आरोपी सनी को गिरफ्तार किया गया अनूप गश्त ड्यूटी पर थे। गश्त कर रही ड्यूटी टीम ने एक व्यक्ति को इशारा किया जो पीरबाबा मजार सुल्तानगढ़ी मकबरा वसंत कुंज के पास पैदल आ रहा था। गश्ती कर्मचारियों को देखकर आरोपी मौके से भागने लगा। हालांकि, सतर्क टीम ने थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। पूछताछ करने पर वह मौके से भागने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके अलावा, तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 1 जिंदा राउंड बरामद हुआ, जिसने अपना नाम मनोज कुमार पुत्र बाबू लाल निवासी इसराइल कैंप, रंगपुरी पहाड़ी नांगल देवत, दिल्ली, उम्र 28 साल बताया। तदनुसार, थाना वसंत कुंज दक्षिण में एफआईआर संख्या 169/25 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले में आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का संसद से पास होना एक ऐतिहासिक फैसला : हरीचंद जाखड़

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। महरौली जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जुझारू कर्मठ प्रवक्ता एडवोकेट हरीचंद जाखड़ संसद के दोनों सदनों से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा की वक्फ बोर्ड को काफी अधिक शक्ति दे दी गई थी, जिस कारण जहां वह लूट खसोट में लगा था, वही गरीब मुसलमान को फायदा पहुंचाने की जगह उनकी जमीन भी जबरदस्ती हड़पने का काम कर रहा था। श्री जाखड़ ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग करने वाले सभी सांसदों का

आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसका दूरगामी परिणाम होंगे तथा समाज के कमजोर वर्ग को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ ऐसी बेनामी संपत्ति है जिसका कोई कागजात नहीं है। अब इन सभी विषय की गंभीरता से जांच होगी तथा वाजिद हकदार को उसकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के दावे के बाद इसे सिर्फ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकती थी। इस कारण पीड़ित पक्ष अपने आप को असहाय एवं असमर्थ महसूस करता था। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कुछ रसूखदारों का ही कब्जा है और वही दिन दूनी रात चौगुनी अपनी संपत्ति में इजाफा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल राष्ट्रहित एवं समाज हित में है, जिसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार बधाई की पात्र है।

कृषको को गुमराह कर समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं की खरीद में लिप्त बिचौलियों के विरूद्ध जिला प्रशासन ने कसी नकेल

स्वतंत्र प्रभात

कौशाम्बी। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में कृषको को गुमराह कर समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं की खरीद में लिप्त बिचौलियों के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा नकेल कसना प्रारम्भ कर दिया गया है। 517 बोरी गेहूं से लदी एक ट्रक संख्या छ्व॥028 क्क9816 को मण्डी सचिव ओसा, मंझनपुर द्वारा पकड़ी गयी, जिसके पास कोई कागजात नहीं था। इसी तरह भरवारी मण्डी में एक ट्रक संख्या रू॥09 श्वस्र9834 भी पकडी गयी है, जिसमें लगभग 250 कुन्तल गेहूं लोड है तथा उसके पास कोई पेपर नहीं था। उक्त ट्रको के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। ग्राम अफजलपुर, कडा के कृषक भुवन तिवारी का गेहूं अजुहा मण्डी ले जाते समय एक ग्राम व्यापारी अधिकारियों को देखकर भाग गया। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी रामप्रवेश के समझाने पर कृषक द्वारा अपना गेहूं खाद्य विभाग के सिराथू क्रयकेन्द्र पर बेचा गया। इससे पूर्व कल कुम्हियावां क्षेत्र में भ्रमण के समय जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने अपने घर के दरवाजे पर किसी व्यापारी को बेचने हेतु गेहूं का ढेर लगाते हुए एक गृहणी को देखा। पूंछताछ करने पर महिला श्रीमती पुष्पा देवी ने व्यापारी को गेहूं बेचने की जानकारी दी, समझाकर उन्हे सरकारी क्रयकेन्द्र पर गेहूं बेचने के लिए सहमत किया गया। विपणन निरीक्षक कुम्हियावां ने महिला कृषक के घर पर ही गेहूं की तौल करायी। ग्रामीण क्षेत्रो में कृषकों के मध्य अधिकारियों की सक्रियता से ग्राम व्यापारियों और बिचौलियों में हड़कम्प है। जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है कि कृषकों को गुमराह करने वाले बिचौलियों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा।

समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में ऑनर किलिंग पिता ने ही गला घोंटकर बेटी को मार डाला

स्वतंत्र प्रभात

समस्तीपुरा। समस्तीपुर में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। घरवालों को यह मंजूर नहीं था। उसके बाद लड़कीअपने प्रेमी संग घर से भाग गयी। जिसके बाद परिजनों ने उसे दिल्ली से बरामद कर घर लाया फिर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी और लाश को घर के ही बाथरूम रख दिया। पूरा मामला जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के तांडा गांव में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान गांव के मुकेश सिंह की पुत्री साक्षी कुमारी (20) के रूप में हुई है। पुलिस ने मां की शिकायत पर लड़की का शव उसके घर के ही बाथरूम से बरामद कर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला तब सामने आया, जब लड़की की मां ने अपने बहनोई यानी लड़की के मौसा को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने इसकी सुचना पुलिस को दी। जिसके बाद सुचना पर पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी में बाथरूम से उसका शव बरामद किया। साक्षी की मां का आरोप है कि मेरी बेटी की हत्या में मेरे पति और सौतेले बेटे टुन्नू सिंह ने किया है। मां के बयान पर आरोपी पिता मुकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया

गया है। वहीं दूसरा आरोपी टुन्नू सिंह फरार हो गया है। घटना के संबंध में लड़की के मौसा विपिन कुमार ने बताया कि उनकी साढू की बेटी साक्षी गत 4 मार्च को पड़ोस के गांव के ही एक युवक के साथ दिल्ली चली गई थी। सामाजिक दबाव के बाद लड़की को दिल्ली से बरामद की गई। इसके बाद दो दिन पूर्व लड़की को दिल्ली से मोहिउद्दीन नगर लाया गया था। इसी दौरान अब यह बात सामने आया कि उनके साढू ने अपनी पुत्री की हत्या कर शव को कहीं फेंक दिया है। इसके अलावा उनकी साली भी उनके पास पहुंचकर इस बात की जानकारी दी। फिर वह लड़की की खोजबीन करने के लिए पहुंचे तो तरह-तरह से उनके साढू द्वारा जवाब दिया जा रहा था। पिता ने अपनी बेटी के भाग जाने की बात करने लगे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो शव की तलाश शुरू की गई। शव घर के ही बाथरूम में बंद मिला। बाथरूम में बाहर से ताला लगा हुआ था। इस दौरान पुलिस द्वारा लड़की के पिता से कड़ाई पूछताछ की गई , तो हत्या करने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने पिता मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

अलग-अलग जाति से हैं दोनों ‒ स्थानीय लोगों का कहना है कि साक्षी और उसके प्रेमी दोनों अलग-अलग जाति के हैं। दोनों पड़ोसी गांव के ही रहने वाले हैं। दोनों के घर के बीच महज 500 मीटर की दूरी है। बताया जाता है कि कॉलेज आने-जाने के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी थी। लेकिन दोनों के इस संबंध को लेकर परिवार वाले तैयार नहीं थे। इसके बाद दोनों घर से भाग गए थे। लोगों का कहना है कि दिल्ली में लड़का के संबंधी ने लड़की को परिजनों के हाथों सौंप दी थी। उस समय वेलोग बाजार में थे, जिसका उन लोगों ने वीडियो भी बनाया था। वहीं इस संबंध में पटोरी के डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। लड़की की मां के बयान के आधार पर उसके पिता मुकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

सराय अकिल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर घाट में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन

कौशाम्बी। जनपद में सराय अकिल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर घाट में यमुना नदी के मौरंग घाटो पर ह्लत्र्र के नियम को दरकिनार कर खनन किये जाने पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा वीडियो बुधवार को वायरल हुआ है ।वायरल वीडियो त्नक्क-सिस्टम का लोकेशन बैंड दिखाते हुए तैयार किया गया है। बुधवार को सोशल मीडिया में वायरल वीडियो त्नक्क-ट्रैकिंग के मुताबिक चायल तहसील के श्यामपुर उर्फ मल्हीपुर मौरंग यमुना नदी घाट का बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि खनन पट्टा धारक अपने निर्धारित क्षेत्रफल से अलग हट कर यमुना नदी के जल क्षेत्र में भारी मशीनों से खनन कार्य कर रहा है ।जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. बल्कि नदी का प्राकृतिक प्रवाह भी बाधित हो रहा है ।स्थानीय लोगो का मानना है कि अगर इसी तरह जलधारा से अवैध खनन जारी रहा तो आने वाले दिनों में नदी अपने मूल स्वरूप को खो सकती है। इसका वीडियो किसी अज्ञात व्यक्ति ने जीपीएस सिस्टम का लोकेशन बैंड ऑन कर तैयार किया है। वीडियो में साफ तौर पर नदी की जलधारा दिखाई पड़ रही है। इसमें पोकलैण्ड मशीन मौरंग को निकाल कर घेर बना रही हैं। मशीन के करीब बालू ढुलाई के लिए गाड़ियां लोडिंग का इन्तजार कर रही हैं ।अब देखना यह है कि जिला प्रशासन वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर खनन माफिया के खिलाफ ठोस कार्यवाही करता है या हमेशा की तरह मूकदर्शक बना रहेगा।

दक्षिण जिला स्पेशल स्टाफ ने किया कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। स्पेशल स्टाफ, साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने कुख्यात स्नैचर अली हसन को बी.एन.एस.एस. की धारा 35(1)(ई) के तहत दिनांक 09.4.25, पीएस साकेत से गिरफ्तार करके सराहनीय कार्य किया है। उसकी निशानदेही पर एक चोरी की मोटरसाइकिल, 01 स्नैच किया हुआ मोबाइल फोन और 01 खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया और 03 मामलों का निपटारा किया गया। स्पेशल स्टाफ, साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम को विशेष रूप से अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का काम सौंपा गया था, खासकर ऑटो-लिफ्टिंग और स्नैचिंग में लिप्त। तदनुसार, स्टाफ ने स्थानीय मुखबिरों को जागरूक करके और मानव खुफिया जानकारी एकत्र करके ईमानदारी से प्रयास शुरू किए। नतीजतन, क्षेत्र में रोकथाम और पता लगाने के लिए दिन और रात के अलग-अलग समय पर संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी गई। स्टाफ लगातार विभिन्न गिरोहों के अपराधियों को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहा था स्पेशल स्टाफ/दक्षिण जिले में तैनात एचसी संदीप ने अपराध की प्रवृत्ति, कार्यप्रणाली, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी, साथ ही मैनुअल सूचना के विश्लेषण के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट एकत्र किए। एकत्रित इनपुट को मैनुअल सूचना प्रणाली के माध्यम से और भी परिष्कृत किया गया। एचसी संदीप ने अपने सूचना नेटवर्क को तैयार किया और आखिरकार

08/09.04.25 की मध्यरात्रि को एक विशिष्ट इनपुट मिला कि पुष्प विहार, साकेत में एक सक्रिय स्नैचर आने वाला है। इसलिए इंस्पेक्टर गिरीश चंद्र आई/सी, स्पेशल स्टाफ/एसडी के नेतृत्व में एचसी संदीप, एचसी प्रवीण, एचसी नरेंद्र, एचसी राकेश, कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल योगेंद्र की एक टीम ने श्री अभिनेंद्र जैन, एसीपी/ऑपरेशंस, दक्षिण जिले की देखरेख में त्वरित कार्रवाई की। सूचना को आगे बढ़ाया गया और क्षेत्र की स्थानीय जांच की गई। विश्वसनीयता की पुष्टि करने के बाद टीम ने पीएस साकेत के अधिकार क्षेत्र में बिरला स्कूल फिश मार्केट के पास जाल बिछाया। रात करीब 11 बजे एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर देखा गया। शक होने पर उसे रुकने का इशारा किया गया लेकिन पुलिस की मौजूदगी को भांपकर उसने गाड़ी तेज कर दी और मौके से भागने की कोशिश की। हालांकि, सतर्क कर्मचारियों ने ईमानदारी से प्रयासों के बाद उसे सफलतापूर्वक रोक लिया और पकड़ लिया। उसकी सरसरी तलाशी लेने पर उसके पास से 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। उससे मोटरसाइकिल के दस्तावेजों के बारे में पूछा गया लेकिन वह इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा। बाद में उसकी पहचान अली हसन के रूप में हुई। सत्यापन करने पर मोटरसाइकिल पीएस साकेत से चोरी की गई पाई गई और एक मोबाइल फोन पीएस हौज खास से छीना गया और दूसरा एक खोई हुई रिपोर्ट से जुड़ा हुआ पाया गया। इसलिए आरोपी अली हसन के बी.एन.एस.एस. दिनांक 09.4.25, पीएस साकेत की धारा 35(1)(ई) के तहत गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में वह बाइक चुराता था और उस पर झपटमारी करता था, उसके बाद उस बाइक को छोड़ देता था और बाद में दूसरी बाइक चुराता था और झपटमारी करता था। वह सस्ते दामों पर मजदूरों को फोन बेचता है अली हसन पुत्र इरफान अली निवासी शिव पार्क, खानपुर, दिल्ली। उम्र 25 साल। वह पहले भी झपटमारी और चोरी आदि के 05 मामलों में शामिल पाया गया था।

ग्राम पंचायतों में रोजगार के लिए वरदान साबित हुआ मनरेगा

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा। जनपद में सैकड़ो करोड़ रुपए के निर्माण कार्य मनरेगा द्वारा कराए गए हैं जिनमें लोगों के लिए लंबे समय तक रोजगार मिला है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जनता के चेहरे पर खुशी झलकी है। गौरतलब है कि विजय कुमार पांडे डीसी मनरेगा मथुरा के निर्देशन में जनपद के 10 ब्लॉकों में अच्छा सामंजस्य बैठा कर कई सैकड़ो करोड रुपए के निर्माण कार्य पूर्ण होकर सफल हुए हैं लगभग कार्य लक्ष्य निर्धारण से ऊपर हुए हैं। श्री पांडे ने बताया कि जनपद में निर्माण कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ कराकर मनरेगा भी अपनी अग्रणी भूमिका रखता है

मनरेगा के तहत जनपद में हुए कार्य

1- पीडी जनरेशन- 21.99 लाख मानव दिवस की सापेक्ष 33.09 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ जो अपने लक्ष्य से अधिक है।

2- 13.53 लाख मानव दिवस महिलाओं द्वारा सूचित किए गए जो 41त्न है

3. एस0सी0/एस0टी0- 8.82 लाख मानव दिवस अनुसूचित जाति द्वारा सृजित किए गये।

4. महिला मेट- एनआरएलएम के कन्वर्जेंस कुल 483 महिला मेटों का चयन एवं नियोजन किया गया है जिससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ है और उनका सशक्तिकरण हुआ है।

5. 100 दिवस रोजगार कुल 6953 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया । जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग की साइट पर करके उनको अन्य सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई की जा रही है।

6. अमृत सरोवर कुल 156 अमृत सरोवरो का कार्य पूर्ण कराया गया जो जल संरक्षण, पर्यटन एवं विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं।

7. खेल मैदान कुल 201 खेल मैदानो का निर्माण विभिन्न विकासखंड में कराया गया।

8. पिंक मनरेगा - चौमुहां ब्लॉक के अंतर्गत पिंक मनरेगा का कार्य कराया जा रहा है जहां कार्य स्थल पर संपूर्ण कार्य महिला मजदूरों द्वारा ही संपादित किया जा रहा है।

9. मॉडल शॉप कुल 38 मॉडल शॉप का निर्माण किया जा चुका है जहां आपूर्ति विभाग के द्वारा राशन वितरण का कार्य शुरू किया गया है।

10. आंगनबाड़ी केंद्र- कुल 114 आंगनबाड़ी केंद्रो का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है जहां आईसीडीएस विभाग द्वारा अपने विभाग की योजनाओं की क्रियान्वयन का कार्य शुरू किया जा रहा है।11. बाउंड्रीवॉल निर्माण - 226 बाउंड्री वॉल सरकारी स्कूलों के पूर्ण किए गए जिसमें परिषदीय विद्यालयों के पठन-पाठन और शिक्षा की प्रक्रिया सुरक्षित और मजबूत हुई है।

सभी कार्य मनरेगा के तहत कराए गए हैं। जिससे लोगों को हर सुख सुविधा के साथ साथ बृज पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। योगी सरकार की मंशा के अनुसार ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास में मनरेगा अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है।

शराब कारोबारियों के दो गुटों के बीच आपसी रंजिश को लेकर हुई थी गोलीबारी, चार हिरासत में

स्वतंत्र प्रभात

समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में हुए फायरिंग मामले में दो गुटों के बीच आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। इस गोलीबारी में एक महिला सहित तीन लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। जिनका इलाज पटना में चल रहा है। जिनमें एक युवक और एक किशोर की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सुरेश पासवान की पत्नी सुशील देवी (65) भी समस्तीपुर के ही एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सुचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से चार खोखा एवं एक कारतूस बरामद की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस वारदात के दूसरे दिन एसपी अशोक मिश्रा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने घटना स्थल पर गिरे खून के निशान के अलावे आरोपी के घर का भी जायजा लिया। इस दौरान डीएसपी विवेक कुमार शर्मा को उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिया। इस मामले में फिलहाल पुलिस आसपास के घरों और दुकानों में लगी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। वहीं दूसरे दिन एफएसएल एवं डीआई यू की टीम ने घटना स्थल से नमूना एवं साक्ष्य एकत्रित

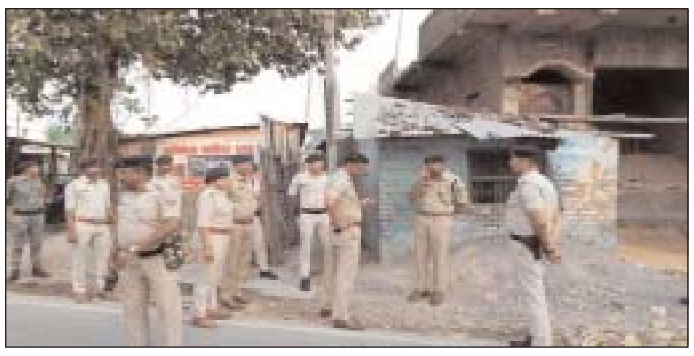

की है । इस सम्बंध में एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में लोकनाथपुर गंज निवासी ब्रह्मदेव पासवान के पुत्र मिथुन पासवान एवं गोलू पासवान की पासवान एवं गोलू पासवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आवेदन मिलने पर कांड दर्ज कर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जायेगी। मिली जानकारी के अनुसार इस कांड में जख्मी सौरभ सुमन के मामा पप्पू पासवान से गोलू पासवान का किसी बात को लेकर अदावत थी। जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद रहने की चर्चा है और इसी रंजिश के कारण गोलू पासवान और उसके भाई मिथुन ने पप्पू के भांजा सौरभ सुमन को गोली मारी थी ।वहीं इस गोलीबारी के दौरान वहां पर मौजूद बाल किसन एवं सुशीला देवी भी गोली लगाने से जख्मी हो गये। वहीं कुछ लोग दबी जुबान में शराब को लेकर गोली चलने की भी चर्चा कर रहे हैं। लोगों के अनुसार गोलू पासवान शराब के धंधे में शामिल है। सौरभ सुमन से शराब मामले को लेकर मंगलवार शाम को विवाद हुआ था । इसके बाद डायल 112 की पुलिस टीम भी आयी थी। जिससे मिथुन को शक हुआ कि पुलिस को सौरभ ने ही बुलाया है। इसी शक के बाद गोलीबारी की घटना होने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार यह चर्चा पुलिस तक भी पहुंची है। यही कारण है कि पुलिस अलग- अलग बिंदुओं की जांच कर रही है।

जनपद का सबसे बड़ा भ्रष्ट और घोटाले बाज ग्राम विकास अधिकारी से रिकवरी करने के बजाय सरसवां विकास खण्ड में क्यों गई गयी तैनाती

स्वतंत्र प्रभात

कौशाम्बी। जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी अनिल कुमार सिंह ने अपने पत्र संख्या-01/पं0/शि0-जॉच /2025-26 दिनांक-01.04.2024 द्वारा ग्राम पंचायत बरलहा विकास खण्ड मंझनपुर की निरीक्षण टिप्पणी जारी किया गया था। जिसमें मनोज कुमार ग्राम विकास अधिकारी निम्नलिखित आरोपों में दोषी पाये गये हैं- आरोप संख्या:-1 ग्राम पंचायत बरलहा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मॉडल ग्राम के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु धनराशि मु0-935000.00 रू0, दिनांक 23 अगस्त, 2024 को उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध करायी गयी धनराशि के क्रम में मनोज सोनी, ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा माह अक्टूबर, 2024 को मु0-704706.00 रु0 आहरित किया गया। धनराशि उपलब्ध कराये 05 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अब तक मात्र ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध केन्द्र का निर्माण प्लिन्थ स्तर तक कराते हुए छोड़ दिया गया है। कन्सल्टिंग इंजीनियर से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि मात्र मु0-72000.00 रूपये का कार्य हुआ है, जबकि ग्राम स्वच्छता कार्ययीजना के अनुसार समस्त कार्यों को दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक पूर्ण कराया जाना था। निरीक्षण के समय मौके पर लगभग 400 ईटें दोएम दर्ज की, 100 फीट गिट्टी पायी गयी तथा कार्य मौके पर बंद्र पाया गया। समस्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0) मंझनपुर द्वारा अनेकों बार निर्देशित करने के बावजूद आहरित धनराशि मु0-704706.00 रू0 के सापेक्ष अब तक मु0-72000.00 रु0 का कार्य कराये जाने से प्रतीत होता है कि श्री मनोज सोनी, ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा शासकीय धनराशि मु0-632706.00 रु0 का दुरूपयोग / अनियमित्ता कर लिया गया है।